वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 22.09.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, आज, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 22.09.2024

चेतावनी

वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने की समीक्षा बैठक

सील भवनों में निर्माण पर दर्ज होगा केस

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वीडीए सभागार में शनिवार को सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में जोन-4 वार्ड नगवां और भेलूपुर संबंधित मानचित्र निस्तारण, बकाया जमा, शिकायत निस्तारण, प्रवर्तन कार्यवाही आदि की समीक्षा बैठक हुई। इसमें सील भवनों में हो रहे निर्माण कार्य को बंद कराने, बेसमेंट में कार्यवाही संबंधित, अवैध प्लाटिंग का ध्वस्तीकरण कराने और केस दर्ज कराने का निर्देश दिया। बैठक में संयुक्त सचिव परमानंद यादव, नगर नियोजक प्रभात कुमार, जोनल अधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी, अवर अभियंता आरके सिंह रहे। ब्यूरो

अवैध निर्माणों के खिलाफ सात दिन में कार्रवाई करें

वाराणसी। अपर सचिव डॉ. गुडाकेस शर्मा ने शनिवार को दांदूपुर, चांदमारी, ऐढ़े व अहमदपुर रिंग रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान रिंग रोड के दोनों तरफ आवासीय निर्माण कार्य जोरों पर मिला। अपर सचिव डॉ. गुडाकेस शर्मा ने जोनल अधिकारी (जोन-1) को आदेशित किया कि रिंग रोड के दोनों तरफ निर्माणाधीन आवासीय व व्यावसायिक अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करें। सात दिन के अंदर कार्यवाही के बाद रिपोर्ट भी भेजें।

मीट मार्केट की दुकान संख्या-8 पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला

वाराणसी। वीडीए द्वारा नदेसर व्यवसायिक योजना के तहत मीट मार्केट की दुकान संख्या-8 के संबंध में जारी किए गए बेदखली नोटिस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले में कोई निर्देश जारी करने के इच्छुक नहीं है, लेकिन यदि याची (कमरूद्दीन कुरैशी) दुकान का किराया देने के इच्छुक हैं, तो वह दो सप्ताह के भीतर वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव से संपर्क कर सकते हैं। सचिव द्वारा उन्हें खाते का विवरण प्रदान किया जाएगा, जिससे वह वास्तविक किराया राशि का भुगतान कर सकेंगे। इस फैसले के अनुसार, यदि याची तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ नियमांनुसार बेदखली की कार्रवाई की जा सकती है। ब्यूरो

चार मंजिला मकान को किया सील

वाराणसी। वीडीए जोन-4 की प्रवर्तन टीम ने वार्ड भेलूपुर के तहत अवध गरबी शिवाला वार्ड में केदारनाथ गुप्ता के चार मंजिला मकान को सील किया गया। जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी व अवर अभियंता राकेश सिंह रहे। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 22.09.2024

पांच दिन में पास किया होटल का नक्शा

वाराणसी। चेतगंज वार्ड के जैतपुरा में वीडीए ने पांच दिन के अंदर 42 कमरों के होटल का नक्शा पास किया। मोहनलाल व किशन सेठ ने तीन सितारा होटल का नक्शा वीडीए में पेश किया, जहां समस्त औपचारिकताओं, दस्तावेजों को जमा करने पर कम समय पांच दिन में नक्शा पास कर दिया। ब्यूरो

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज—दि0 22.09.2024

विप्रा सचिव ने की भेलूपुर जोनकी समीक्षा, अधिकारियों को दी चेतावनी

विप्रा सचिव डा वेद प्रकाश मिश्र ने शनिवार को भेलूपुर जोन की समीक्षा बैठक में अब तक हुए अवैध निर्माण, सीलिंग, अवैध प्लाटिग हुइ काररवाइ, प्रवर्तन काररवाई एवं विधिक काररवाई को लेकर जोनल अधिकारी और अभियन्ता से पूछ ताछ करते हुए नाराजगी जतायी। उन्होंने खासकर मानचित्र के निस्तारण में अब ४७ लाख ७७ हजार २७७ के कम वसूली पर नाराजगी जताते हुए एक करोड़ लक्ष्य करने का निर्देश दिया। उनहोंने कहा कि दस दिंन के भीतर भेलूपुर जोन से सम्बन्धित पेट्रोलपम्प के मामले का निस्तारण करते हुए उसका मानचित्र प्रस्तुत करे अन्यथा सचालक पर विधिक काररवाई करते हुए नोटिस जारी किया जाय। बैठक में भेलूपुर के जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, आर. के. सिहं, सयुंक्त सचिव परमानन्द यादव मौजूद थे।

हिन्दुस्तान—दि0 22.09.2024

मानचित्र, शिकायत निस्तारण की समीक्षा

वाराणसी। वीडीए सभागार में शनिवार को हुई बैठक में सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा ने नगवां, भेलूपुर वार्ड से संबंधित मानचित्र निस्तारण, बकाया जमा, शिकायत निस्तारण, प्रवर्तन की समीक्षा की। सील भवनों में हो रहे निर्माण बंद कराने, अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने, मुकदमा दर्ज कराने को कहा।

हिन्दुस्तान—दि0 22.09.2024

वीडीए अपर सचिव ने किया निरीक्षण

वाराणसी। वीडीए अपर सचिव डॉ. गुडाकेस शर्मा ने शनिवार को दान्दुपुर, चांदमारी, ऐढे एवं अहमदपुर रिंग रोड का निरिक्षण किया गया। इस दौरान रिंग रोड के दोनों तरफ आवासीय निर्माण गतिमान पाया गया। अपर सचिव ने जोनल अधिकारी (जोन-1) को आवासीय एवं व्यावसायिक अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करें।

हिन्दुस्तान–दि0 22.09.2024

भेलूपुर में वीडीए ने सील किया भवन

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर शनिवार को जोन-4 की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी और अवर अभियंता राकेश सिंह ने बताया कि भेलूपुर वार्ड में 750 वर्गफुट क्षेत्रफल में भूतल का निर्माण पूर्ण कर (जी+4) तल फिनिशिंग करने पर नोटिस दी गई थी।

बकाया किराया जमा करने का आदेश

वाराणसी। वीडीए की नदेसर मीट मार्केट की दुकान संख्या-8 की बेदखली नोटिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि वह कोई निर्देश जारी करने का इच्छुक नहीं है, यदि याची किराया देना चाहता है तो वह दो सप्ताह में वीडीए सचिव से संपर्क कर सकते हैं।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 22.09.2024

वीडीए जोन-4 की हुई समीक्षा बैठक

वाराणसी (एसएनबी)। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभागार में सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में जोन-4 वार्ड नगवां व भेलूपुर से सम्बंधित मानचित्र निस्तारण, बकाया जमा, शिकायत निस्तारण, प्रवर्तन कार्यवाही इत्यादि की समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में सील भवनों में हो रहे निर्माण कार्य को बंद कराने, बेसमेंट में कार्यवाही सम्बंधित, अवैध प्लोटिंग का ध्वस्तीकरण कराने सहित मुकदमा दर्ज कराने, अवैध पेट्रोल पंप की जाँच करने एवं उनका मानचित्र स्वीकृति हेतु अभियान चलाने जिसमे यदि कार्यवाही के उपरान्त 10 दिन के अन्दर अभिलेख प्रस्तुत नही किया जाता है तो पक्ष के विरुद्ध सुसंगत धारा के अनुरूप नोटिस की कार्यवाही की जाये व क्षेत्रान्तार्गत हो रहे अवैध निर्माणों के सापेक्ष अधिक संख्या में शमन मानिचत्र दाखिल कराने का निर्देश दिया गया। शमन मानिचत्र के सापेक्ष आलोच्य माह में 47 लाख 73 हजार 277 रुपया जमा कराया गया है जिसे बढ़ाकर 1 करोड़ तक जमा कराने का निर्देश दिया गया है। उक्त के क्रम में शिकायतों के समबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए निर्देश दिया गया।

बैठक के दौरान संयुक्त सचिव परमानंद यादव, नगर नियोजक प्रभात कुमार, जोनल अधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी, अवर अभियंता आरके सिंह उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 22.09.2024

अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में 21सितम्बर को विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड-भेलूपुर के अंतर्गत केदारनाथ गुप्ता द्वारा, भवन संख्या - 5 /50 मोहल्ला - अवध गरबी शिवाला वार्ड-भेलूपुर के 750 स्क्वायर फिट क्षेत्रफल भूतल का निर्माण पूर्ण कर (जी+4) तल का निर्माण पूर्ण फिनिसिंग का किये जाने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजक विकास अधिनियम- 1973 की सुसंगत धारा -27, 28 (1) व 28 (2) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 750 स्क्वायर फिट क्षेत्रफल में (जी+4) तल पर निर्माण पूर्ण फिनिसिंग का कार्य किया जा रहा है उक्त अनिधिकृत निर्माण को आज दिनांक 21.09.2024 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया था।इस दौरान जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी व अवर अभियंता राकेश सिंह उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

सचिव वीडीए ने किया स्थलीय निरीक्षण

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में अपर सचिव डा0 गुडाकेस शर्मा द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अंतर्गत दान्दुपुर,चांदमारी,एढे एव अहमदपुर रिंग रोड का स्थल निरिक्षण किया गया, निरिक्षण के दौरान रिंग रोड के दोनों तरफ आवासीय निर्माण गतिमान पाया गया उपरोक्त के क्रम में अपर सचिव डा0 गुडाकेस शर्मा द्वारा जोनल अधिकारी (जोन-1) को आदेशित किया कि अपने क्षेत्रान्तर्गत रिंग रोड के दोनों तरफ गतिमान आवासीय एवं व्यावसायिक अनधिकृत निर्माणों के वि.रूद्ध विधि संगत पर्वतन की कार्यवाही कर 07 दिवस में कृत कार्यवाही करें, निरिक्षण के दौरान सहायक अभियंता सिह गौरव जय प्रकाश,अवर अभियंता अतुल मिश्रा मौजूद रहे।

न्यायाधीश–दि0 22.09.2024

वाविप्रा सभागार में मानचित्र निस्तारण , बकाया जमा , शिकायत निस्तारण , प्रवर्तन कार्यवाही इत्यादि की समीक्षा बैठक आयोजित

वाराणसी।वाविप्रा के सभागार में सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता 21 सितम्बर को जोन-4 वार्ड नगवां व भेलूपुर से सम्बंधित मानचित्र निस्तारण , बकाया जमा , शिकायत निस्तारण , प्रवर्तन कार्यवाही इत्यादी की समीक्षा बैठक की गयी जिसमे सील भवनों में हो रहे निर्माण कार्य को बंद कराने, बेसमेंट में कार्यवाही सम्बंधित, अवैध प्लोटिंग का ध्वस्तीकरण कराने सहित मुकदमा दर्ज कराने , अवैध पेट्रोल पंप की जाँच करने एवं उनका मानचित्र स्वीकृति हेतु अभियान चलाने जिसमे यदि कार्यवाही के उपरान्त 10 दिन के अन्दर अभिलेख प्रस्तुत नही किया जाता है तो पक्ष के विरुद्ध सुसंगत धारा के अनुरूप नोटिस की कार्यवाही की जाये व क्षेत्रान्तार्गत हो रहे अवैध निर्माणों के सापेक्ष अधिक संख्या में शमन मानचित्र दाखिल कराने का निर्देश दिया गया।शमन मानचित्र के सापेक्ष आलोच्य माह में 47 लाख 73 हजार 277 रु0 जमा कराया गया है जिसे बढाकर 1 करोड़ तक जमा कराने का निर्देश दिया गया है त उक्त के क्रम में शिकायतों के समबद्ध एवं गुद्वात्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया।बैठक के दौरान संयुक्त सचिव परमानंद यादव, नगर नियोजक प्रभात कुमार ,जोनल अधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी, अवर अभियंता आर0 के0 सिंह उपस्थित रह।

न्यायाधीश—दि0 22.09.2024

वाविप्रा ने 05 दिवस में स्वीकृत किया 42 कमरो का होटल मानचित्र

वाराणसी।नगर में चेतगंज वार्ड में मुख्य मार्ग पर आराजी नं. 629, मकान नंबर सी 25 / 1 ए-बी सी25/ 1ए-सी मौजा-जैतपुरा, परगना-देहात अमानत, जिला-वाराणसी पर स्थित 1248.60 वर्गमीटर के भूखंड पर विकासकर्ता श्री मोहनलाल श्रीकिशन सेठ द्वारा तीन सितारा होटलङ का मानचित्र प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। समस्त औपचारिकताओं एवं दस्तावेजों को जमा कर पूर्ण करने के बाद 05 दिवस से कम समयावधि में प्राधिकरण द्वारा मानचित्र को स्वीकृत कर दिया गया।इस होटल प्रतिष्ठान में ङउदल्त ंड्ढ3 तल व 14.95 मीटर की ऊंची बिल्डिंग प्रस्तावित है जिसके चारों तरफ नियमानुसार सेटबैक दिया जाना है। विकासकर्ता द्वारा इस प्रस्तावित होटल में निमनलिखित सुविधाओं का विकास किया जाना हैः- विभिनन्श्रेणियों के 42 कमरों का प्रावधान किया गया है। 01 बेंक्वेट हाल 01 कान्फ्रेंस कक्ष 01 मल्टीक्यूजीन स्पेसियलिटी रेस्टोरेन्ट 32 कार पार्किंग तथा पर्याप्त संख्या में टू व्हीलर पार्किंग वाराणसी नगर एक पर्यटक नगरी है तथा यहाँ पर वर्षपर्यंत पर्यटकों बड़ी संख्या में आते है, उपरोक्त के माध्यम से पर्यटकों को विश्वस्तरीय होटल की सुविधाएं वाराणसी विशेषकर चेतगंज एवं मलदहिया के सघन क्षेत्र में प्राप्त हो सकेगी।